

I/21880/2022

बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

प्रेषक,

दिनांक:-12/04/2022

सी०पी०खण्डूजा,
आयुक्त मनरेगा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सहरसा, बिहार।

विषय:- मनरेगा योजना अंतर्गत मनरेगा के अनुमेय कार्यों की सूची में वर्णित के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:-

कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा का पत्रांक
25-2, दिनांक 02-02-2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड अंतर्गत अधिकांश: भूखंडों पर जल जमाव होने, अधिकांश लोगों के पशुपालक एवं सीमांत किसान होने का उल्लेख करते हुए मनरेगा योजना अंतर्गत मनरेगा के अनुमेय कार्यों की सूची के क्रमांक 60 (व्यक्तियों के लिये बंजर भूमि/परती भूमि का समतलीकरण/सही आकार देना) एवं क्रमांक 61 (व्यक्तियों के लिये चौर एवं जल भराव क्षेत्रों वाली भूमि की निकासी) से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

ज्ञातव्य है कि मनरेगा अंतर्गत वैसे ही कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है जो अनुमान्य कार्यों की सूची में शामिल है। (अनुमान्य कार्यों की सूची अवलोकनार्थ संलग्न है।)

अतः उपरोक्त के आलोक में कहना है की अनुमान्य कार्यों की सूची में वर्णित योजनाओं का क्रियान्वयन कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किये जाने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

Signed by C P Khanduja

विश्वासभाजन

Date: 12-04-2022 01:17:21

Reason: Approved

(सी०पी०खण्डूजा)

आयुक्त मनरेगा।

प्रतिलिपि:-

1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सहरसा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

791419/2022/SECTION 1-PRPS कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर

पत्रांक : 25-2 / दिनांक : 02-02-2022

प्रेषक

कार्यक्रम पदाधिकारी
सिमरी बख्तियारपुर

सेवा में,

उप विकास आयुक्त
सहरसा

विषय : मनरेगा योजना अंतर्गत "मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची" के क्रमांक 60 (व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि/परती भूमि का समतलीकरण/सही आकार देना) एवं 61 (व्यक्तियों के लिए चौर एवं जल भराव क्षेत्रों वाली भूमि की निकासी) के परिचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि प्रखंड अंतर्गत अधिकांश क्षेत्र एवं भूखंड जल-जमाव से युक्त है एवं कोशी के कछार में रहने के कारण अधिकांश भूखंड पर सालों भर जल जमाव रहता है। यहाँ के अधिकांश लोग पशुपालक/लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास उपजाऊ भूमि काफी कम है एवं जल जमाव के कारण इसका उपयोग कृषि, पशुपालन एवं आवासन के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत इनके बंजर, अनुपयोगी एवं जल जमाव से युक्त भूमि में भूमि विकास एवं जल निकासी की योजना क्रियान्वित कर इनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इन योजना के क्रियान्वयन से शत-प्रतिशत मानव दिवस सृजन के साथ भूमि की उपयोगिता बढ़ेगी। उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन से लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि मनरेगा के अनुमेय कार्यों की सूची संख्या 60 एवं 61 पर उल्लेखित कार्यों को प्रखंड अंतर्गत कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा प्रदान करें।

विश्वासभाजन

कार्यक्रम पदाधिकारी
सिमरी बख्तियारपुर

ज्ञापांक : 25-2 / दिनांक : 02.02.22

प्रतिलिपि :

आयुक्त मनरेगा, बी०आर०डी०एस०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यक्रम पदाधिकारी
सिमरी बख्तियारपुर